

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक-३७।) / OFC(BSNL)-समेकित/ 22790 / 2016, दिनांक, लखनऊ, अगस्त ०९ , २०१७

सेवा में

वन संरक्षक,  
मुरादाबाद वृत्त,  
मुरादाबाद ।

## विषयः

भारत संचार निगम लिंग द्वारा मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग (एस0एच0-49) के किमी0 30.90 से किमी0 36.00 तक 5.1 किमी0 लम्बाई में ३००५००८०० डालने हेतु 0.153 हेठो संरक्षित वन भूमि तथा बिजनौर में किमी0 36 से ६२.६० (महाराणा प्रताप चौक) से दूरभाष केन्द्र धामपुर (दूरी २०० मी0) कुल २६.८०० किमी0 लम्बाई में ०.८०४ हेठो संरक्षित वन भूमि कुल ०.९५७ हेठो संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक-387 / 14-1 दिनांक 02.08.2017

महोदय

विषयगत प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से कठिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं संसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

- प्रस्ताव के साथ किसी भी अभिलेख पर ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए-3 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।
  - प्रस्ताव के साथ किसी भी अभिलेख पर ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए-3 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी की पावर आफ अटार्नी संलग्न नहीं हैं। प्रस्ताव के पृष्ठ-34 पर संलग्न प्राधिकार पत्र सुसंगत एवं अनुमन्य नहीं है।
  - प्रस्तावित वान्यभूमि के स्वामित्व वाले विभाग की अनापत्ति संलग्न नहीं है। सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

प्रश्नगत प्रस्ताव में प्रभारीय निदेशक, विजनौर का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अतः इस प्रस्ताव हेतु प्रभारीय निदेशक, विजनौर को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। वे संशोधित प्रस्ताव अपने द्वन् संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को तीन दिन में उपलब्ध करायेंगे। उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियों इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव तीन दिन के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

४८८

(ज्ञान प्रशासन कमार वर्मा)  
मुख्य वन सरकारी नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- ३७। / उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, विजनौर को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यताही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख निदेशक, विजनौर को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि श्री जयराम रिंह, डिवीजनल इंजीनियर, टेलीकॉम प्रोजेक्ट, डी-13/15 देव विहार कालोनी, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना एवं अभिशेष सम्बन्धित प्रभागीय मुरादाबाद वांछिकारी का तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଡ R933 / ୧୪-୧୯୦୧୦ | ୮/୧୭

(डा० प्रशान्ति कुमार वर्मा)  
गुरुव्य बन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
बन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**गोवा० मुरादाबाद क्षेत्र उत्तर प्रदेश**